



2026:AHC:67424

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5211 वर्ष 2026

अनिल कुमार आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रदीप यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 64

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा

1. दिनांक 16.03.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान आवेदन का नोटिस वारिस के माध्यम से सूचनाकर्ता को दिया गया है।
2. अपर शासकीय अधिवक्ता निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत करता है कि वर्तमान आवेदन का नोटिस क्रमशः 28.01.2026 को सूचनाकर्ता-प्रतिपक्षी संख्या-4 और 31.01.2026 को बाल कल्याण समिति, आजमगढ़- प्रतिपक्षी संख्या-3 को दिया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्राप्त अनुमोदन अभिलेखों पर लिया जाता है। हालांकि, उक्त विरोधी पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है और न ही उनकी ओर से कोई जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी के लिए श्री रूपक चौबे, अपर शासकीय अधिवक्ता
4. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन केस अपराध संख्या-113 वर्ष 2025 में धारा 137(2), 87, 64(1) बी.एन.एस. और 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना अटरौलिया, जिला आजमगढ़ के तहत मुकदमा लंबित रहने के दौरान ज़मानत पर आवेदक को ज़मानत पर बढ़ाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। कथित तौर पर यह घटना 03.04.2025 को हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट 06.04.2025 को दर्ज की गई थी। देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में कहा है कि उसकी उम्र 19 वर्ष है। हालांकि, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में उसने कहा है कि उसकी उम्र 18 वर्ष है और वह आवेदक के साथ स्वेच्छा से अपना घर छोड़ गई थी और पंजाब चली गई थी और पंजाब में उसने आवेदक से शादी की थी और पति-पत्नी के रूप में रहती थी। आवेदक के खिलाफ जबरन मारपीट का कोई आरोप नहीं है। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। आवेदक 11.12.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन अभिलेखों से उपरोक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक ढंग से विरोध नहीं कर सका।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देर से दर्ज की गई है। पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में कहा है कि उसकी आयु 19 वर्ष है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में पीड़िता ने कहा है कि उसकी आयु 18 वर्ष है, उसने आवेदक के साथ स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया था और पंजाब चली गई थी और पंजाब में उसने आवेदक से शादी की थी और पति-पत्नी के रूप में रहती थी। आवेदक के खिलाफ जबरन हमले का कोई आरोप नहीं है। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक तीन महीने से अधिक समय तक कैद में है और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, और राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर बढ़ाया जाता है, तो या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या मुकदमे में देरी करेगा या गवाह को डराएगा, इसलिए, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर विस्तार का हकदार है।



8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- अनिल कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो कि वह:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख को पेश होगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026

एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)